राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

W-6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)

Visit us: www.livelihoods.rajasthan.gov.in e-mail: dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र–1/1001/2019/ 25157 दिनांक:– 20/05/2020

आचार्य/अधीक्षक
समस्त राजकीय/प्राइवेट
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2019–20 के राजकीय/प्राइवेट औ.प्र.संस्थानो में संचालित व्यवसायो से संबंधित सैद्वान्तिक कार्य को दिनांक 31.05.2020 तक पूर्ण करने बाबत।

सदर्भ :– राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमाक प.33(2) गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 20.05.2020 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सम्पूर्ण राज्य में 21.03.2020 से कोविड–19 की महामारी के कारण लॉकडाउन घोषित किया गया था। जो वर्तमान परिपेक्ष्य में दिनांक 31.05.2020 तक बढाया गया हैं।

लॉक डाउन आरम्भ काल में ही उपनिदेशक क्षैत्रीय कार्यालय के माध्यम से समस्त राजकीय एवं प्राइवेट संस्थानो को निर्देशित किया गया था कि वे लॉक डाउन अवधि में संस्थान में संचालित व्यवसायो के सैद्वान्तिक शैक्षणिक कार्य को भारत सरकार की वेबसाईट **www.bharatskills.gov.in** ,राज्य निदेशालय की वेबसाईट **www.livelihoods.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध (04 व्यवसाय क्रमशः इलैक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल, कोपा) ई कन्टेन्ट तथा डीजीटी द्वारा विभिन्न व्यवसायो की जूम एप के माध्यम से आयोजित आनलाईन कक्षाओं की सहायता से सैद्वान्तिक पाठयक्रम पूर्ण करावें। जिससे की लॉकडाउन समाप्ति पश्चात् संस्थानो के भारत/राज्य सरकार के दिशा निर्देश उपरान्त संस्थानो के खुलने पर पूर्ण संज्ञान प्रायोगिक कार्य को दिया जाकर समस्त शैक्षणिक कार्य को 31.07.2020 तक पूर्ण करवाया जा सके।

अतः समस्त राजकीय/प्राइवेट औ.प्र.संस्थानो को निर्देशित किया जाता हैं कि भारत सरकार/राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशा की पालना एवं सेनेटाईजेशन एवं सोशियल डिस्टेंसिंग के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार की वेबसाईट **www.bharatskills.gov.in** राज्य निदेशालय की वेबसाईट **www.livelihoods.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध ई कन्टेन्ट, डीजीटी द्वारा जूम एप के माध्यम से आनलाईन कक्षाएँ तथा संस्थान स्तर से जूम/अन्य किसी एप के माध्यम से ऑनलाईन कक्षाओ का आयोजन कर समस्त प्रशिक्षणार्थियो को 31.05.2020 तक सैद्वान्तिक कक्षाओं का पाठयक्रम पूर्ण करवाया जाना सूनिश्चित करावें तथा संस्थानो द्वारा पूर्ण करवाये गये कार्यो का दैनिक विवरण भी संधारित किया जावे।

उपरोक्तानुसार सैद्वान्तिक पाठयक्रम 31.05.2020 तक पूर्ण करवाने का दायित्व संबंधित संस्थान प्रधान का रहेगा।

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र–1/1001/2019/ 25158–159 दिनांक:– 20/05/2020

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेंर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर जोधपुर/कोटा/उदयपुर को भेजकर लेख हैं कि आपके क्षैत्राधीन समस्त राजकीय/प्राइवेट औ.प्र.संस्थानो में सैद्वान्तिक पाठयक्रम दिनांक 31.05.2020 तक करवाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक प्रशिक्षण